हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा ।

अधिसूचना

क्रमांक 1469-स.क.(1) दिनांक 31-8-2009.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा समय–2 पर दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर, सरकारी कार्यालयों की कुर्सियों की कैनिंग करने हेतु नियुक्त किये गये थे । ये कुर्सी बुनकर न ही तो डेली–वेजिज़, न ही एडहॉक और न ही वर्कचार्ज कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किये गये थे, बल्कि दृष्टिहीनों के कल्याण की दृष्टि से रिटेनरशिप भत्ता आधार पर नियुक्त किये गये थे । इनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अपनाई गई नीति अनुसार कुर्सी बुनकरों द्वारा सरकारी कार्यालयों की कुर्सी की कैनिंग करने हेतु की गई थी । वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में कैनिंग की कुर्सियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है । अतः इन कुर्सी बुनकरों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी 128 कुर्सी बुनकरों को भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थित जिला रैडकास समितियों के कार्यालयों में बतौर मास्टर ट्रेनर के पद पर, भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनमान के समान वेतनमान में अर्थात (4440–7440+1300 जी.पी.) के पे बैंड में, मूल वेतन 6050/–रू0 प्रतिमास व अन्य भत्तों सहित जो समय–2 पर भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा शाखा द्वारा स्वीकृत किये जायेगें, समायोजित किया जाता है।

2. इन कुर्सी बुनकरों को मास्टर ट्रेनर के पद पर नियुक्त करने हेतु निम्न रूपरेखा होगी :–

1) विकलांग व्यक्तियों को व्यासायिक प्रशिक्षण जैसे कि चाक मेकिंग, डिस्पोजऐबल ग्लास मेकिंग, मोमबत्ती बनाना एंव डस्टर इत्यादि देने के लिए ट्रेनिंग सैन्टर, जिला/ उप–मण्डल/खण्ड स्तर पर खोले जायेगें । इस स्कीम के तहत मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जायेगें ।

2) ऐसे नियुक्त मास्टर ट्रेनर के वेतन व अन्य भत्तो आदि की शतप्रतिशत राशि सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा शाखा को प्रतिवर्ष उनकी मांग प्राप्त होने पर सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

3) भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा के अधीन नियुक्त होने पर इन दृष्टिहीन मास्टर ट्रेनर के सभी पद भविष्य में डिमनिसिंग कैडर में रखे जायेगें । इसके परिणाम स्वरूप इन नियुक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के त्याग–पत्र देने, सेवानिवृत होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उस पद को स्वतः समाप्त समझा जायेगा और भविष्य में उसके विरूद्ध कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

4) इस योजना सम्बन्धी कार्य के सुचारू रूप से संचालन व रिकार्ड आदि मेनटेन करने हेतु भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा शाखा के मुख्यालय पर एक सहायक व एक लिपिक के केवल भरे हुये पदों के विरूद्ध कन्सोलिडेटिड दर पर वेतन की राशि भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बतौर सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

5) ऐसे नियुक्त कर्मचारियों के सी:पी:एफः व अन्य कटौतियां आदि का निर्धारण भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा द्वारा निश्चित किया जायेगा तथा इन कर्मचारियों पर भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा के सेवानियम लागू होगें ।

6) इस स्कीम में रैकरिंग लागत जैसे मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, यन्त्र/मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य फुटकर खर्चो हेतु एक बार सरकार द्वारा सहायक अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

7) मास्टर ट्रेनर को, चाक मेकिंग, डिस्पोजऐबल ग्लास मेकिंग, मोमबत्ती बनाना एंव डस्टर बनाना इत्यादि ट्रेडज में 3 मास का अनिर्वाय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

8) प्रत्येक जिले में लगभग 5–7 मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति की जाएगी ।

9) रिटेनरशिप पर कार्यरत्त कुर्सी बुनकर जो मास्टर ट्रेनर के पद पर नियुक्त होगें उन्हें प्रति कार्य दिवस संस्था के समय अनुसार कार्यालय/उत्पादन केन्द्र में उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी।

10) विभाग द्वारा स्वीकृत इस सहायक अनुदान का रैडकास सोसायटी अलग से लेखा–जोखा मेनटेन करेगी , जिसका पूर्ण रिकार्ड निरीक्षण हेतु तैयार रखा जाएगा तथा प्रतिवर्ष इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू0सी0) विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

11) इस योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर द्वारा विभिन्न विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडज़ जैसे चाक मेकिंग, डिस्पोजऐबल ग्लास मेकिंग, मोमबत्ती एंव डस्टर बनाना इत्यादि में 3–6 मास का प्रशिक्षण देकर स्वःरोज़गार के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि इच्छुक विकलांग व्यक्ति इन ट्रेडज में उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वःरोज़गार स्थापित केरने के उद्देश्य से हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण एंव कमजोर वर्ग निगम, चंडीगढ़ के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगें।

3. भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना के लागू होने के साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा के अधीन नान प्लान साईड से संचालित "नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार योजना"के अन्तर्गत केवल रिटेनरशिप आधार पर नियुक्त केनरों की योजना स्वतः समाप्त समझी जायेगी । इसके पश्चात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास रिटेनरशिप आधार पर न ही कोई पद उपलब्ध होगा और न ही भविष्य में कोई पद स्वीकृत करने अथवा उन पर नियुक्ति देने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

4. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से तुरन्त प्रभाग से लागू होगी ।

5. इस मामले में वित्त विभाग की सहमति उनके अशाः कमांक 2/62/94–3 एफ0जी0–II/1617, दिनांक 24–8–09 द्वारा प्राप्त कर ली गई है ।

Scanned with OKEN Scanner

-8-

यह खर्चा निम्न शीर्ष में से मीट किया जायेगा :–

"2235 Social Security & Welfare -02-Social Welfare (Social Justice & Empowerment) -001-Welfare of Handicapped -09-Grant-in-aid to Voluntary organization working in the field of Handicapped -89- Financial Assistance to other Voluntary Organization"-Non plan- 2009-10.

चण्डीगढ़, दिनांक
25-8-2009

नवराज सन्धू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 कमांक 1469-सा.जा.(1) चण्डीगढ़, दिनांक 31-8-2009

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/आडिट हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, सैक्टर-34, चण्डीगढ़ ।
4. सभी उपायुक्त-कम-प्रधान, जिला रैडकास समितियां हरियाणा राज्य में ।
5. अवैतनिक सचिव, भारतीय रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, रैडकास भवन, सैक्टर-16, मध्यमार्ग, चण्डीगढ़ ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, बजट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा ।
7. सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।
8. सभी सचिव, जिला रैडकास सोसायटी, हरियाणा राज्य में ।

संयुक्त साचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

इसकी एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके पत्र अशाः कमांक 2/62/94-3 एफ0जी0-II/1617, दिनांक 24-8-09 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संयुक्त साचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ।

अशाः कमांक 1469-सा.जा.(1) चण्डीगढ़, दिनांक 31-8-2009.

Scanned with OKEN Scanner